

**(viii) लोकायुक्त**

129. राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन हैं?

- (a) जी.के.व्यास  
(b) जी.एस.सन्धु  
(c) निहाल चन्द गोयल  
(d) प्रताप कृष्ण लोहरा

**Rajasthan CET (G. Level) 2022 Set-D**

**Ans. (d) :** राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त श्री प्रताप कृष्ण लोहरा हैं। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ थे। लोकायुक्त का गठन करने वाला राजस्थान, भारत का तीसरा राज्य है। राजस्थान में लोकायुक्त का गठन 1973 में किया गया था।

130. कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए-

- I. राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार, राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया।  
II. जी.सी. कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने।

निम्न में से कौन-सा विकल्प सही है?

- (a) केवल कथन I सही है  
(b) केवल कथन II सही है।  
(c) I व II दोनों कथन सही हैं  
(d) I व II दोनों कथन गलत हैं

**Rajasthan CET (G. Level) 2022 Set-B**

**Ans. (c) :** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता पद का प्रावधान है। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जी.सी. कासलीवाल थे। राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता एम.एस. सिंधवी हैं।

131. राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- (a) वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है  
(b) वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है।  
(c) उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है।  
(d) प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया है।

**VDO-2021 (Exam Date. 28.12.21) Shift-IV**

**Ans. (a) -** राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं की जाती है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त के रूप में सन् 1973 में न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ की नियुक्ति की गई थी। वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के लोकायुक्त हैं।

132. राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

- (A) वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है।  
(B) उसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं उच्च लोक सेवकों तक फैला है।

(C) वह भ्रष्टाचार एवं कु-प्रशासन के मामलों पर विचार करता है।

(D) उसका कार्य आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों की।

**कूट :**

- (a) A एवं (C)  
(b) (A) एवं (D)  
(c) A, (B) एवं (C)  
(d) (A),(B),(C) एवं (D)

**RPSC RAS (Pre) 2021**

**Ans. (\*) :** राजस्थान में लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त पद का सृजन वर्ष 1973 में किया गया था। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल को ही इसे (लोकायुक्त) इसके पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है। यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। उसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं उच्च लोक सेवकों तक फैला हुआ है। वह भ्रष्टाचार एवं कु-प्रशासन के मामलों पर विचार करता है। उसका कार्य आरोपों तथा शिकायतों दोनों की जांच करना है। वर्तमान में राजस्थान राज्य के लोकायुक्त श्री प्रताप कृष्ण लोहरा हैं।

आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है।

133. राजस्थान के 13वें (तेरहवें) लोकायुक्त-

- (a) न्यायमूर्ति एस.एस. कोठारी  
(b) न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा  
(c) न्यायमूर्ति जी.एल. गुप्ता  
(d) न्यायमूर्ति मिलाप चन्द जैन

**MOTAR VAHAN UPNIRIKSHAN 15.09.2021**

**Ans. (b) :** राजस्थान के 13वें लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा को बनाया गया है। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। इनकी नियुक्ति 09.03.2021 को हुई है। प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ थे। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 एवं संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इनके कार्य और अधिकार क्षेत्र का निर्धारण किया गया है।

134. राजस्थान लोकायुक्त के सम्बन्ध में निम्न में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (A) राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है।  
(B) महालेखाकार, राजस्थान, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है।  
(C) राजस्थान राज्य विधान सभा, सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

**नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-**

- (a) केवल (A) (b) केवल (A) और (B)  
(c) केवल और (d) (A), (B) और (C)

**MOTAR VAHAN UPNIRIKSHAN 15.09.2021**

**Ans. (d) :** राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 द्वारा राजस्थान के मंत्रियों, सचिवों, राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों आदि के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग एवं अकर्मण्यता की जांच के लिए स्थापित यह एक उच्च स्तरीय